कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

JS-cum-JD

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 -1/श0 स्था0 नि0/14276/623 **दिनांक:-** 30.5.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत बनमनखी के वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 396/11-12 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। साथ ही अनुरोध है कि इस लेखा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/ विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

30/5/12

व0 लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर-1
बिहार, पटना

नगर पंचायत बनमनखी
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–396/2011–12

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत बनमनखी के वितीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 के लेखाओ का नमूना अंकेक्षण प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा बिहार पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.11.11 से 18.11.11 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियो/अधिकारियो ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कार्यपालक पदाधिकारी का पदभार संभाला

अध्यक्ष

	अध्यक्ष	अवधि
1	श्रीमति नीलम देवी	01.04.08 से 26.08.10 तक
2	श्रीमति नीलम देवी	29.09.10 से 31.03.11 तक

उपाध्यक्ष

	उपाध्यक्ष	अवधि
1	नरेश यादव	01.04.08 से 31.03.11 तक

कार्यपालक पदाधिकारी

	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1	सुभाष नारायण	01.04.08 से 08.04.08 तक
2	शैलेश कुमार	08.04.08 से 18.02.09 तक
3	मनोज कुमार झा	18.02.09 से 26.04.10 तक
4	अरूण कुमार गुप्ता	26.04.10 से 31.03.11 तक

(71)

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण के दौरान नमूना जॉच की गयी अभिलेखों/पंजियों की सुची परिशिष्ट I एवं वैसे अभिलेखों/पंजी जो या तो प्रस्तुत नहीं किये गये या न तो संधारित किये गये उनकी सूची परिशिष्ट II मे दी गयी हैं।

4. पूर्ववर्ती लेखा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिकाओ के निस्तारण की स्थिति निम्न है

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0	अवधि	कुल कंडिकाएँ	निस्तारित नही की गयी कंडिकाए की सं0
10/09–10	2002–03 से 2007–08	21	21

उपर्युक्त एवं अन्य पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओ का बिन्दुवार अनुपालन तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु उचित प्रयास किये जाये ताकि लंबित कंडिकाओं की संख्या को कम किया जा सके।

5. रोकड़ बही

सामान्य रोकड़ बही का विहित संधारण नही किया गया । इसमें पायी गयी त्रुटिया निम्न प्रकार है

1. सभी मदों का आय –व्यय एक ही रोकड़ बही से किया गया।

2. विभिन्न मदो के लिए अलग–अलग बैंक खातो का संधारण किया गया लेकिन इसके समर्थन में सहायक रोकड़ बही का संधारण नही किया गया।

3. विभिन्न मदों के आय–व्यय का वर्गीकरण नही किया गया।

4. प्रारंभिक शेष का विश्लेषण नही किया गया।

5. सभी प्रविष्टियों पर प्राधिकारी के हस्ताक्षर नही पाये गये।

6. रोकड़ बही के प्रविष्टियों के अनुसार वर्ष 08–11 की अवधि में प्रा0 शेष, आय–व्यय एवं अंत: शेष का विवरण निम्न प्रकार है:–

	2008–09	2009–10	2010–11
प्रा0 शेष	4765283.69	7925710.69	11978717.69
प्राप्तियाँ	7509234.00	8694413.00	16474179.00
योग	12274517.69	16620123.69	28452896.69
व्यय	4348807.00	4641406.00	6987724.00
अंतः शेष	₹ 7925710.69	₹ 11978717.69	₹21465172.69

सभी मदों का आय व्यय की प्रविष्टि एक की रोकड़–बही से किये जाने एवं वर्गीकरण नहीं किये जाने के कारण मदवार आय–व्यय के आंकड़ो को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

बैंक पास बुक विवरणी के अनुसार नगर पंचायत बनमनखी का अन्तः शेष निम्न प्रकार है (31.03.11तक)

भा0 स्टेट बैंक	(A/c No-11607546143)	6127489.06
से0 बैंक ऑफ इंडिया	(A/c No-2005976460)	5015724.00
यू0 बै0 ऑफ इंडिया	(A/c No-1070010103635)	2217250.00
कोषागार का अन्तः शेष	(31.03.11तक)	8686344.53
		₹22046807.59

बैंक पासबुक/विवरण एवं कोषागार का अन्तःशेष से रोकड़बही के अन्तःशेष का अन्तर ₹581634.90 उपर्युक्त दोनों ऑकडो के मध्य अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

6. अंतः शेष

सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन में यह पाया गया कि विभिन्न मदों में दिनांक 31.03.2011 को कोषागार के अंतः शेष की राशि निम्न प्रकार थी

कम सं0	मद	अवशेष राशि	अभियुक्ति
1	स्थापना मद	89264.53	
2	बारहवी वित्त आयोग	1061412.00	
3	सहाय्य अनुदान (नाला निर्माण)	1301000.00	
4	सहाय्य अनुदान (जन मार्ग)	4371000.00	
5	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	14604.00	

6	मैचिग अंनुदान	704264.00	
7	कबीर अन्येष्टि	21000.00	
8	13 वी वित्त आयोग	1000000.00	
9	आपादा प्रबंधन (अलाव)	7000.00	
10	जनगणना प्रशिक्षण	1500.00	
11	जनगणना व्यय मद	115300.00	
		₹8686344.53	

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य बैंक जिनका अन्त शेष निम्न प्रकार थी

1	**भा0 स्टेट बैंक, बनमनखी**	**5563857.16**
2	सेन्ट्रल बैंक बनमनखी	4909192.00
3	युनाइटेड बैंक बनमनखी	2166497.00

परन्तु इससे संबंधित रोकड़बहियों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित रोकड़बहीयों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

7.मुख्य लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ

कम सं0	**विवरण**	**कंडिका सं0**
1	बजट	9
2	अनुदान	10
3	कम जमा/जमा नही	11,12,13
4	सैक्शन मशीन कय	16
5	मोबाइल टावर के पास बकाया राशि	17
6	स्टाम्प शुल्क की वसुली नहीं	18
7	विलंब शुल्क की कटौती नही	19
8	दैनिक कर्मचारियों का भुगतान	26
9	स्व0 जयंती शहरी रोजगार योजना	27

8. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 एवं 2007 की धाराओं में जॉच का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली,1964 के नियम 20,30,64,69 एवं 79 इत्यादि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निश्चित अंतराल पर आंतरिक जॉच की व्यवस्था दी गई है।

नगर पंचायत, बनमनखी की लेखाओं की नमूना जॉच में यह पाया गया कि इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण लेखाओं/अभिलेखों के संधारण में त्रुटियॉ/अनियमिततायें पाई, गई, जिन्हें संबंधित कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

9. बजट

बिहार नगपालिका अधिनियत 2007 की धारा के अन्तर्गत प्रत्येक आगामी वर्ष हेतु संभावित आय–व्यय से संबंधित वार्षिक बजट वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व तैयार कर पार्षदों द्वारा अनुमोदन के पश्चात् 31 मार्च के पूर्व राज्य सरकार कों स्वीकृति हेतु अग्रसारित कर दिये जाने का उपबंध किया गया। बनमनखी नगरपंचायत में संबंधित संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि

1. वर्ष 2008–09 का बजट दिनांक 14.06.08 के प्रस्ताव सं0 3 द्वारा तैयार किया गया जिसे सरकार की स्वीकृति हेतु पत्रांक 304 दिनांक 19.06.08 को भेजा गया।

2. वर्ष 2009–10 का बजट उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. वर्ष 2010–11 का वार्षिक बजट दिनांक 27.03.10 के प्रस्ताव सं0 06 द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसे सरकार कों स्वीकृति हेतु पत्रांक 224 दिनांक 29.04.10 द्वारा सरकार को प्रेषित किया गया, उपर्युक्त विवरण सें यह स्पष्ट है कि अधिनियम कें उपबंधों का पालन नही किया गया।

भविष्य में इस अभ्यास पर रोक लगायी जाय तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर बजट तैयार कर सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाये एवं बिना सरकार की स्वीकृति के अप्राधिकृत रूप से व्यय नहीं किये जायें।

10 अनुदान

अनुदान पंजी एंव अनुदान विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके कारण 01.04.08 को पूर्व का अव्यवहृत राशि वर्ष 08–11 की अवधि में प्राप्त आवंटन एवं इसके विरूद्ध व्यय तथा 31.03.11 को मदवार अवशेष राशि का आकलन नहीं किया जा सका।

रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार 08–11 की अवधि में विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार थी

(67)

क्र0 सं0	संस्वीकृति पत्र सं0/दिनांक	राशि	मद	अभियुक्ति
1		245000.00	मैचिंग ग्रांट	कोषागार/ दि0 24.04.08
2		530707.00	द्वादस वित्त	तदैव/24.04.08
3	मु0 कार्य पदा0 पुर्णिया	1597000.00	पि0 क्षे0 अ0 नि0	सेन्ट्रल बैंक/04.07.08
4	5674/न0 वि0 वि0/19.12.07	1061412.00	द्वादस वित्त	कोषागार भा0 स्टे0 बै0/31.07.08
5	856/तदैव/21.02.08	1079840.00	तदैव	भा0 स्टे0 बै0/तदैव
6	32/जि0 पदा0 पुर्णिया/1.11.08	51000.00	कबीर अन्तेष्टि	ग्रामीण बैंक/21.11.08
7	——	1478987.00	सहाय्य मद योजना	कोषागार/28.03.09
8	365/तदैव/ 24.12.08	51000.00	मृतको के आश्रितो को पारिवारिक लाभ (BPL)	तदैव/25.05.09
9	144/तदैव/10.06.09	210000.00	रा0 पारिवारिक लाभ	तदैव/02.07.09
10	मु0 का0 पदा0 पुर्णिया/–	1068500.00	वि0 क्षे0 अ0 नि0	सेन्ट्रल बैंक /11.08.09
11	जि0 प0 पुर्णिया/–	10000.00	तदैव	भा0 स्टे0 बै0/11.11.09
12	मु0 का0 पदा0 पूर्णिया/–	177000.00	पि0 क्षे0 अ0 नि0	सेन्ट्रल बैंक/17.12.09
13	3774/न0 वि0 वि0 /14.07.08	2051000.00	नाला निर्माण	कोषागार/05.01.10
14	——	402892.00	मुद्रांक शुल्क	तदैव/24.02.10
15	126/न0 वि0 वि0/21.10.09	1061412.00	द्वादस वित्त	तदैव/8.03.10
16	1388/तदैव/17.03.10	475958.00	तदैव	तदैव/31.3.10
17	28/तदैव/17.03.10	475958.00	तदैव	तदैव/तदैव
18	26/तदैव/16.03.10	482871.00	मैचिंग ग्रांट	तदैव/तदैव
19	1420/तदैव/14.03.10	72600.00	पार्षदो का भत्ता	तदैव/तदैव
20	1833/तदैव/09.04.10	2025000.00	नाला निर्माण	तदैव/17.04.10
21	1832/तदैव/तदैव	1621000.00	सड़क निर्माण	तदैव/तदैव
22	जि0 प0 पूर्णिया/328/09.04.10	153000.00	मृतको के आश्रितों	तदैव/20.04.09
23	66/न0 वि0 वि0/20.04.10	4371000.00	पथ निर्माण	तदैव/30.06.10
24	69/तदैव/20.04.10	72600.00	सदस्यों का भत्ता	तदैव/तदैव
25	566/जि0 प0 पूर्णिया/ 2..07.10	270000.00	सा0 सु0 पारिवारिक लाभ	तदैव/28.07.10
26	मु0 का0 पदा0, पूर्णिया/–	444500.00	पि0 क्षे0 अ0 नि0	सेन्ट्रल बैंक/22.11.10
27	मु0 का0 पदा0/पूर्णिया/–	1151450.00	तदैव	तदैव/12.01.11
28	4713/न0 वि0 वि0/17.08.10	1000000.00	13वीं वित्त आयोग	कोषागार/17.02.11
29	जि0 पदा0 पूर्णिया/–	931200.00	आपदा प्रबंधन	स्टेट बैंक/25.03.11
30	–/न0 वि0 वि0/–	704264.00	मैचिंग ग्रांट	कोषागार/31.03.11
		₹25327151.00		

उपर्युक्त से संबंधित अनुदान पंजी एवं विनियोग पंजी का विहित रूप सें अद्यतन संधारण कर मदवार 31.03.11 को अव्यवहृत राशि कें आंकड़े अगले लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

11. कम जमा

होल्डिंग रसीदों एवं विविध रसीदों के नमूना जॉच के कम में पाया गया कि कुल ₹ 246 नगर पंचायत के संबंधित खाते में कम जमा किया गया था। विवरण परिशिष्ट IV में वर्णित है।

अतः ₹ 246 संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा की जाए।

12 विलंबित जन्म–मृत्यु निबंधन शुल्क जमा पंजी का कैशियर कैश बुक में जमा नही

विलंबित जन्म–मृत्यु निबंधन शुल्क जमा पंजी का कैशियर कैश बुक में मिलाने के कम में पाया गया कि निम्नलिखित राशि कैश बुक में जमा नही की गयी है

कम सं0	रसीद सं0	राशि
1	701–800	954
2	801–869	682
		₹1636

अतः कुल राशि ₹ 1636 संबंधित व्यक्तियों से वसुल की जाए तथा इन्हें उचित शीर्ष में जमा कर अगलें लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय।

13. विविध शुल्क की राशि कैश बुक में जमा नही

विविध शुल्क जमा पंजी का कैश बुक के मिलान के कम में पाया गया कि नारायण ठाकुर कर दरोगा द्वारा ₹4735 की राशि जमा नहीं की गयी।

अतः उक्त राशि ₹4735 संबधित व्यक्ति से वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

14 एक ही कम की दों रसीद बहियॉ

बस पड़ाव शुल्क वसूली रसीद बही की जॉच के कम में पाया गया कि रसीद सं0 1901 सें 2000 कमांक की दो प्रतियॉ एक ही वित्तीय वर्ष में प्रयोग की गयी। इस तरह की रसीद बहियो का पाया जाना कर्मचारी अथवा किन्ही अन्य व्यक्तियों द्वारा निजी तौर पर मुद्रण कराये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(65)

विवरण निम्न प्रकार हैः–

कम सं0	रसीद सं0	निर्गत तिथि	व्यवहार होने की तिथि	अभियुक्ति
1	1901–2000	01.04.11	01.04.11 से 04.04.11	
2	1901–2000	07.04.11	07.04.11 से 10.04.11	

अतः सुझाव है कि प्रशासनिक स्तर पर जॉच कर आवश्यक कार्यवाही की जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाए।

15 हस्तलिखित कम संख्या

बस पड़ाव वसूली रसीदों की नमूना जॉच के कम में पाया गया कि रसीद सं0 01–100 एंव 101–200 वाली बहियों में कम सं0 मशीन मुद्रित नही था। जबकि रसीद छपायी गयी थी।

इस तरह की रसीद बहियों के पाये जाने से मैनुपुलेसन की संभावना से इनकार नही किया जा सकता।

विवरण अग्रलिखित है

कम सं0	रसीद सं0	निर्गत तिथि	व्यवहार होने की तिथि	अभियुक्ति
1	01–100	09.04.09	09.04.09 से 13.04.09	
2	101–200	09.04.09	13.04.09 से 16.04.09	

अतः सुझाव है कि प्रशासनिक स्तर पर जॉच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक कदम उठायें जाए।

16 सैक्शन मशीन का कय

द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत सैक्सन मशीन, कूड़ादान टावर स्ट्रीट लाईट एवं सोडियम लाईट इत्यादि कय का निर्णय कय समिति द्वारा लिया गया उस प्रयोजन हेतु निविदा आमंत्रित किया गया जिसे दिनांक 8.06.2008 को खोला गया तथा कुल 14 निविदादाताओं द्वारा दी गयी निविदाओं की तुलानात्मक विवरणी के आधार पर मैं0 फ्रेन्डस ट्रेडर्स, डी0 डी0 रोड़ फारबिसगंज, अररिया को पत्रांक 269 दिनांक 11.06.08 द्वारा ₹467500/– को स्वीकृत दर पर आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। फ्रेंण्डस ट्रेडर्स के Invoice / Bill सं0 10 दिनांक 28.08.2008 द्वारा निम्न सामग्री की आपूर्ति किया गया

1	Two wheel Tractor Drives Suction Emtier (cess pool Emtier 3500 Ltr capacity	One	@449980/-	449980
2	Wheel Barrow	4	@ 7200	28800
3	Dustbin	1	@73000/-	7300
				486080
		4%Vat		19443
				505523
			Less	23
				₹505500/-

उक्त का भुगतान चेक द्वारा दिनांक 29.08.08 को किया गया।

(ii) फेडंस ट्रेडर्स फारबिसगंज Invoice/Bill सं0 8 दिनांक 1.07.08

1	Bajaj BJMSD 250 W sodium vapour lamp	10 unit	@4700/-	47000
	Vat 12.5%			5875
				₹52875

उक्त का भुगतान चेक द्वारा दिनांक 08.08.08 को किया गया।

(iii) M.L. Enterprises, Katihar Tax invoice no. 35 dt.14.07.08

83

1	Tata B.P. Solar PNo. 79542511275	@40000.00	40000.00
2	Battery tublor 75 AH Battery No. 637035BA08		
3	Light 11 Wat		
4	Pole 23 feet		
5	Contingency	@1000-00	1000.00
6	Maintenance		3400.00
7	Vat	4%	1600.00
		Total	46000.00

चेक द्वारा भुगतान 02.08.08

(iv) M/S Shiv Sakti Enterprises Sarsi, Purnea Cashmemo No. 01 dt Nil

1	Solar Street Light Set Singal Camp fitting with 75w/P solar P.V. 75 AM Tublar Battery	1PC	@40000.00	40000.00
	Vat	4%		1600.00
	Installation			1000.00
	Maintenance			3400.00
			Total	₹46000.00

(v) M/S Shiv Sakti Enterprises, Sarsi, Purnea cash memo No. 02 dt Nil

1	Solar Street Light Set Singal Camp fitting with 75W/P solar P.V 75 AM Tublar Battery	1PC	@40000.00	40000.00
	Vat	4%		1600.00
	Installation			1000.00
	Maintenance			3400.00
			Total	₹46000.00

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. सैक्सन मशीन की तकनीकी, गुणवत्ता जॉच, कार्यरत स्थिति, भौतिक सत्यापन, भंडार पंजी प्रविष्टि, निर्माता कंपनी इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया गया

2. मे0 एम0 एल0 इन्टरप्राईजेज द्वारा वाणिज्य कर विभाग से पंजीकृत होने का प्रमाणपत्र C-I संलग्न किया गया अन्य एजेन्सी पंजीकृत थे इससे संबंधित प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया

3. बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वेलटॉन को क्रय समिति नामित किया गया जिसका दर 34900/– (+) संस्थापन व्यय 1000/– अर्थात कुल 35900/– एवं एकरारनामा की शर्तों में यदि 5 वर्षों का रख –रखाव हेतु 10% अतिरिक्त अर्थात 3500/– तथा निबंधित होने की स्थिति में 4% वैट का भुगतान कुल 39540/– किया गया, लेकिन यह पाया गया कि कुल ₹138000/– का भुगतान किया गया, जो एकरारनामा नहीं किये जाने एवं निबंधित फर्म नहीं होने की स्थिति में ₹ 107700/– का भुगतान क्रम सं0 (iii), (iv), एवं(v), हेतु देय राशि से 30,300/– का अधिक भुगतान किया गया

4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 40 के तहत भुगतानदाता अधिकारी को वस्तुओं के भुगतान मूल्य से वैट की कटौती कर भुगतान करना था। परन्तु नगर पंचायत द्वारा मशीनों के क्रय मूल्य से वैट राशि ₹ 30118/–(19443+5875+1600+1600+1600) की कटौती नही की गयी। अतः वैट की नही काटी गयी राशि ₹ 30118/– की वसूली संबंधित फर्म या उत्तरदायी अधिकारियों से की जाय।

(61)

उपयुक्त विवरण के अनुसार कुल ₹60318/– संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलकर उचित शीर्ष में जमा किया जाय, तथा अन्य बिन्दुओं के स्पष्टी करण उपलब्धता तक शेष राशि ₹ 636057/– (696375–60318 आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है

17. मोबाइल टावर की बकाया राशि

नगर पंचायत के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थित 11 मोबाइल टावरों पर कुल ₹ 5000000.00 (पचास लाख) अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वार्षिक किराया की राशि बकाया थी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VII पर)

चूँकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय पटना के अंतर्गत विचारधीन है अतः इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्यवाई की जाये।

18. स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं

नगर पंचायत द्वारा सैरातों की सूची उपलब्ध नही कराया गया। बस पड़ाव बंदोबस्ती से संबंधित संचिका के अवलोकन में यह पाया गया कि जिला समाहर्ता पूर्णिया के ज्ञापांक 780 दिनांक 04.07.09 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, वनमनखी को उक्त तीनो बस पड़ाव नगर पंचायत को हस्तांतरित करने हेतु निदेशित किया गया इसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी बनमनखी के ज्ञापांक 1007 दिनांक 29.07.09 द्वारा बस पड़ाव नगर पंचायत को हस्तांतरित किया गया जो निम्न प्रकार है:–

1	डा0 रहमान क्लिनिक बस पड़ाव
2	चीनी मिल बस पड़ाव
3	चकला बस पड़ाव

उक्त तीनो बस पड़ाव का बंदोबस्ती 2010–11 एंव 2011–12 हेतु किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है

1	**डा0 रहमान क्लिनीक 30.03.11**	**श्री अनिल कु0 यादव**	**₹ 370000**
	2010–11 08.04.11	तदैव	₹ 650000
2	चीनी मिल बस पड़ाव 30.03.10	तदैव	₹ 450000
	2010–11 08.04.11	तदैव	₹ 520000
3	चकला बस पड़ाव 30.04.10	श्री संतोष कुमार	₹ 501000
	2010–11 08.04.11	श्री अभिषेक यादव	₹ 1294000
			₹ 3785000/–

उपर्युक्त का संबंधित शीर्ष में जमा की जॉच की गयी।

राज्य सरकार के पत्रांक 1920/आर0 इ0/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव सह आइ0 जी0 निबंधन बिहार सरकार के पत्र सं0 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार बंदोबस्तधारी से 3% मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा का निबंधन नहीं कराया गया।

अत: ₹ 3785000/– का 3% ₹ 113550/– की राजस्व हानि हुई जिसकी वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाए एवं अगले अंकेक्षण में इनका जमा दिखलाया जाए।

19 विलंब शुल्क की कटौती नही की गयी

नगर पंचायत में 2008–09 से 2010–11 तक की गयी योजना कार्यो के नमूना जॉच से पता चला कि योजना सं0 01/2010–11 एवं 04/10–11 में किया गया कार्य निर्धारित अवधि से अधिक दिनों में संपन्न हुए।

कार्य समय पर समाप्त न होने की स्थिति में बिहार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के फार्म न0 61 के अन्तर्गत निविदा शर्तो में कलाउज 2 में प्रतिदिन 1/2 प्रतिशत तथा अधिकतम 10 प्रतिशत विलंब शुल्क का प्रावधान है।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा ऐसा नही किया गया। अत: नगर पंचायत अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि संबंधित/ जिम्मेदार व्यक्तियों से विलम्ब शुल्क की कुल राशि ₹ 116110 (एक लाख सोलह हजार एक सौ दस रूपये मात्र) वसुल किया जाए तथा इसकी सुचना स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार पटना को दी जाये।

विस्तृत विवरण परिशिष्ट V में दिया गया है।

20 स्वास्थ्य सेस एवं शिक्षा सेस की राशि का विवरण अनुपलब्ध

वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान स्वास्थ्य सेस एवं शिक्षा शेष के मद में कुल प्राप्त राशि को रोकड़ बही के जॉच में ज्ञात नहीं किया जा सका। इस संबंध में कोई विवरणी भी लेखा परीक्षा को नहीं उपलब्ध कराया गया।

अत: उपरोक्त से संबंधित पंजी/ विवरणी तैयार कर आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाये।

21 कटौती की गयी रॉयल्टी एवं वैट का जमा

योजना पंजी के अवलोकन से यह पाया गया कि विभिन्न मद की योजनाओं सें वैट एवं खनन की कटौती की गयी लेकिन इसे सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नही किया गया था। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

51

क0 सं0	योजना सं0	कटौती की गई राशि		अभियुक्ति
		वैट	खनन-Ŕ	
1	06/2006–07(स्व0 ज0 श0 रो0 यो0)		166	17.02.09
2	07/तदैव (सहाय अनुदान)		200	
3	8/2006–07(तदैव)		1070	
4	9/2006–07(तदैव)		625	
5	10/2006–07(स्व0 ज0 श0 रो0 यो0)	1271	330	29.07.10
6	11/2006–07(12 वीं वित्त)	----	326	
7	1/06–07(सहाय्य अनुदान)	----	1048	
8	2/तदैव (तदैव)	----	1032	
9	3/06–07 (तदैव)	----	1116	
10	4/06–07 (तदैव)	----	---	
11	5/06–07 (तदैव)	----	880	
12	3A/06–07 (बारवहीं वित्त)	----	370	
13	4A/06–07(तदैव)	----	368	
14	5/06–07 (सहाय्य अनुदान)	----	906	
15	6/06–07 (तदैव)	----	166	
		₹1271.00	**₹8603.00**	**₹9874.00**

अतः उपर्युक्त कुल ₹ 9874/– की राशि को संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

22. आयकर की कटौती नही

नगर पंचायत के योजनाओं की संचिकाओं के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि योजना सं0 01/08–09(हस्त चालित चापाकल) जिसका अभिकर्ता श्री भवेश कुमार चौधरी थे तथा इसकी प्राक्कलित राशि ₹ 1036354.00 थी। इस कार्य के लिए श्री भवेश कुमार चौधरी द्वारा दो विपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रथत विपत्र ₹ 872794.00 एवं द्वितीय एवं अंतिम विपत्र ₹ 140510.

00 के थे। दोनो विपत्रों पर 2.24% की दर से ₹ 22698.00 आयकर की कटौती नही कर अभिकर्त्ता को ₹ 22698.00 का अधिक भुगतान किया गया।

अतः ₹ 22698.00 जिम्मेवार व्यक्तियो से वसूल कर एंव संबधित शीर्ष में जमाकर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

विस्तृत विवरण परिशिष्ट VI (क0 सं0 (i) पर

23 वैट, रोयल्टी, आयकर की राशि संबंधित कोष में जमा नही

नगर पंचायत के अभिलेखों की नमूना जॉच के कम में पाया गया कि योजना सं0 01/08-09,01/10-11,07/10-11 तथा 04/10-11 में वैट, रॉयल्टी एवं आयकर (01/08-09 को छोड़कर) की कटौती की गयी थी परन्तु संबंधित खाते में जमा का प्रमाण अंकेक्षण के समक्ष नही प्रस्तुत किया गया।

अतः उक्त राशि ₹125916.00 को संबंधित खातो में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VI में दिया गया है।)

24. अग्रिम

अग्रिम पंजी का विहित संधारण नही किया गया। उपलब्ध योजना पंजी के अवलोकन सें योजनाओं के विरूद्व वर्ष 2008-11 को अवधि में दी गयी 31.03.11 तक लंबित अग्रिम का विवरण निम्न प्रकार है

क0 सं0	दिनांक	राशि	विवरण
1	18.04	7500.00	श्री नारायण ठाकुर 12 वीं वित्त आयोग की यो0 सं0 12/06-07 हेतु
2	20.07	307500.00	तदैव सहाय्य अनुदान की यो0 सं0 4/06-07
3	---	2616500.00	तथैव प्रशासनिक भवन निर्माण यो0 सं0 1A/06-07
4	---	207500.00	श्री शोभानंद यादव बी0 आर0 जी0 एफ0 की यो0 सं0 02/08-09 के कार्यान्वयन हेतु
5	622617/24.01.09	3500.00	श्री रवि कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर की टोनर कय हेतु।
6	16.02.09	7500.00	श्री नारायण ठाकुर पि0 क्षे0 अ0 नि0 की यो0 1/08-09 हेतु
7	तदैव	7500.00	श्री शोभानंद यादव तदैव यो0 सं0 2/08-09
8	18.02.09	150000.00	श्री नारायण ठाकुर तैदव यो0 सं0 1/08-09
9	तदैव	200000.00	श्री शोभनंद यादव, तदैव 2/08-09
10	12.01.10	135000.00	श्री भवेश कुमार चौधरी संवेदक यो0 सं0 01/08-09 (सहाय्य मद) हेतु
11	07.07.10	5000.00	श्री शोभानंद यादव को जनगणना कार्य संपादन हेतु

57

12	26.07.10	2000.00	श्री सुरज कुमार फोटोग्राफर बी0 पी0 एल0 जॉच के फोटोग्राफी हेतु अग्रिम
13	11.11.10	16000.00	कर्मचारियोंको छठ पर्व के अवसर पर वेतन अग्रिम (@1000/– की दर से)
14	20.02.11	150000.00	श्री नारायण ठाकुर पि0 क्षे0 अ0 नि0 की यो0 सं0 01/08–09 हेतु
15	तदैव	5000.00	श्री संतोष गोस्वामी, संतोष फर्नीचर हाउस, अलाव जलाने हेतु
		₹3820500.00	

अतः कुल ₹ 3820500.00 की राशि का सामंजस्य/वसूली (यथाप्रसंग) किया जाये तथा इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

25. अभिश्रव अनुपलब्ध

रोकड़ बही के अवलोकन से यह पाया कि विभिन्न मदों में राशि का भुगतान किया गया जों निम्न प्रकार है

कम सं0	अभिश्रव सं0 /दिनांक	राशि(₹ में)	विवरण
1	32/7.07.08	92000.00	ठोस अवशिष्ट मद में श्री राजीव रंजन पोप राईटर शिव शक्ति इंनटर प्राइजेज वार्ड न0 10 में सोलर लाईट लगाने हेतु
2	34/28.07.08	66400.00	श्री नारायण ठाकुर यो0 सं0 8/06–07 को अन्तिम भुगतान
3	76/11.02.09	44475.00	श्री नारायण ठाकुर, बारहवी वित्त अन्तर्गत यो0 सं0 9/06–07 का अन्तिम भुगतान
4	162/04.01.10	74230.00	तदैव सहायमद को यो0 सं0 4/06–07 का अन्तिम भुगतान
	कुल	₹277105.00	

उपर्युक्त से संबंधित कम सं0 3 की निविदा, दरें, कय समिति का निर्णय, गुणवता जॉच प्रमाण–पत्र कार्यक्षमता, कार्यरत स्थिति इत्यादि से संबंधित संचिका एवं शेष की योजना संचिका अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय। अतः ₹277105.00 कों अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

26. दैनिक कर्मचारियों को भुगतान

सामान्य रोकड़बही के अवलोकन में यह पाया गया दैनिक कर्मचारियों को नियमित रूप सें भुगतान किया गया जबकि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं परिपत्रों द्वारा दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन नगर पंचायत बनमनखी द्वारा दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रूप सें ₹728909.00 का भुगतान किया गया (परिशिष्ट III में उल्लिखित)

उक्त भुगतान के समर्थन में विहित प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाय तबतक कुल राशि ₹ 728909.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

27. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

(i) स्व0 ज0 श0 रो0 योजना हेतु संधारित रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार 2008–11 की अवधि में आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैं

	2008–09	2009–10	2010–11
प्रा0 शेष	1252773	878193	878193
प्राप्तियाँ	—	——	—
योग	1252773	878193	878193
व्यय	374580	———	50636
अन्तः शेष	878193	878193	827557
बैंक खाता शेष(i)	को ऑपरटिव बैंक बनमनखी	₹ 94780	
(ii)	भारतीय स्टेट बैंक बनमनखी	₹ 732777	
		₹ 827557	

(ii) उपर्युक्त रोकड़बही में यह पाया गया कि 31.03.07 को अन्त शेष इस प्रकार था (रोकड़ बही प्रविष्टि के अनुसार)

1	46.00	नगरीय स्वरोजगार
2	8319.00	थिफ्ट एवं क्रेडिट
3	59164.00	केन्दास एवं राज्यांश
4	5500.00	राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना
5	25500.00	बालिका समृद्धि योजना
6	169000.00	योजना एवं स्पष्ट नहीं
7	192440.00	स्वर्ण जयंती
8	554279.00	प्रशिक्षण एवं माइक्रो प्राईजेज

उपर्युक्त कुल राशि को किन परिस्थितियों में 3 वर्षों से अधिक समय से अवरूद्ध कर रखा गया यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

55

ध्यातब्य है कि गंदी बस्ती विकास योजना एवं बालिका समृद्धि योजना काफी पूर्व में समाप्त हो चुकी है। अतः राशि के व्यय हेतु उचित प्रयास किये जाये तथा यदि आवश्यकता नहीं हो तो इसे संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाय।

(iii) अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही से निम्न प्रकार व्यय किया गया

कम सं0	चेक/दिनांक	राशि	विवरण
1	954433/21.05.08	25000.00	श्री नारायण ठाकुर अभिकर्त्ता यो0 सं0 06/06–07 हेतु अग्रिम
2	954434/तदैव	50000.00	तदैव यो0 सं0 10/06–07 हेतु अग्रिम
3	954435/24.11.08	50000.00	श्री अमरेन्द्र कु0 गुप्ता, सचिव निरसा अम्बेदकर एजुकेशनल ट्रस्ट महर्षि में ही पच्छीम नगर को वर्मी कम्पोस्ट एवं अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण हेतु अग्रिम
4	954436/2.01.09	45000.00	तदैव अग्रिम भुगतान
5	—/17.02.09	4580.00	श्री नारायण ठाकुर, अभिकर्त्ता को यो0 सं0 06/06–07 का अंतिम भुगतान
6	954438/13.09.10	30000.00	शाखा प्रबंधक भा0 स्टेट बैंक को शिवम सहायता समूह एवं उमा महादेव स्वयं सहायता समूह को चक्रीय अनुदान
7	954439/तदैव	10000.00	शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक को सदा शिव स्वयं सहायता समूह को चक्रीय अनुदान
8	954440/15.02.11	10636.00	श्री नारायण ठाकुर को यो0 सं0 10/06–07 का अन्तिम भुगतान
		₹225216.00	

उपर्युक्त भुगतान के समर्थन में संबंधित संचिका सक्षम स्वीकृति, प्रावधान, आवंटन एवं अन्य संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया अतः इसे अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाये।

28 प्रशासनिक भवन निर्माण

राज्य सरकार के मॉडल प्राक्कलन पर प्रशासनिक भवन जिसकी प्राक्कलित राशि ₹3850500/– थी पर कार्य करने हेतु श्री नारायण ठाकुर कर दरोगा, नगर पंचायत बनमनखी को अभिकर्त्ता बनाया गया तथा इस प्रयोजन हेतु श्री ठाकुर को दिनांक 24.04.07 से 28.06.10 की अवधि मे कुल ₹ 2616500/– का अग्रिम भुगतान किया गया।

चार वर्षो से अधिक अवधि व्यतीत होन के उपरांत भी प्रशासनिक भवन का कार्य अपूर्ण था इसके कारणों को स्पष्ट कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए। तथा कार्य शीध्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायें ताकि राशि का सामंजन हो सके।

29 सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी कार्यरत रहना

सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका तथा नियुक्ति संचिका लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसकी अनुपलब्धता के कारण कर्मचारियों को नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि नारायण ठाकुर, जो नगर पंचायत के प्रधान सहायक सह लेखापाल कर दारोगा सह स्थापना सहायक का कार्यभार संभाल रहे थे (मूल पद– कर दरोगा) की जन्म तिथि 03.01.1946 थी। 20.10.2011 को सेवा निवृत कराया गया, जबकि श्री ठाकुर को दिनांक 03.01.2004 (58 वर्ष) को सेवा निवृत हो जाना था।

श्री ठाकुर कों सितम्बर, 2005 तक का वेतन भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1 श्री ठाकुर को कोई भी सेवा विस्तार दिये जाने से संबंधित अभिलेख/ पत्र/ आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया

2. किन परिस्थितियों में श्री ठाकुर को सेवा निवृत्ति तिथि के उपरान्त भी सेवा मे रखा गया यह स्पष्ट नहीं किया गया

3. श्री ठाकुर, एक ही व्यक्ति को चार पदों का प्रभार किस परिस्थिति में दिया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया

4. यह भी पाया गया कि श्री ठाकुर को चार पदो के प्रभार के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा संचालित केन्द्र/ राज्य प्रायोजित योजना एवं अन्य जैसे, जिला अथवा स्वयं के श्रोतों से चलायी जा रही योजनाओं का अभिकर्त्ता भी बनाया गया, क्या एक कर्मचारी से चार पदों का कार्यभार के अतिरिक्त बाह्य कार्य (योजनाओं का कार्यान्वयन) भी संभव था, इसे स्पष्ट नहीं किया गया

उपर्युक्त की उच्चस्तरीय जॉच कर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

S3

30. स्वीकृत बल के विरूद्व कार्यरत बल

नगर विकास विभाग के ज्ञाप0 सं0 न0/सं –1 /401/76–1882/ न0 वि0 वि0 दिनांक 8 मार्च 1976 के अनुसार नगर पंचायत का स्वीकृत बल 11 है इसके एवज में वर्ष 2010–11 तक मात्र 4 कर्मचारी कार्यरत थे।

प्रधान लिपिक सह लेखापाल के न रहने से रिकार्डो का संधारण में काफी समस्याऍं थी। कैश बुक विहित प्रपत्र में तैयार न होकर सादे रजिस्टर में तैयार किया गया था जिसमें कई त्रुटियॉ थी। संपति पंजी, भंडार पंजी, ऑडिट रजिस्टर, इत्यादि तैयार नही किये गए थे।

सफाई कर्मियों की कमी से नगर की सफाई भी सही ढंग से नहीं हो रहा था। नगर पंचायत अधिकरियों को सलाह दी जाती ळे कि खाली पदों को भरने के लिए यथाशीघ्र सरकार से पत्रचार किया जाय।

31 अंकेक्षण के परिणाम

1 राशि वसूलने हेतु सुझाव–319293.00

2. अंकेक्षण आपत्ति के अधीन राशि –1642071.00

3. अंकेक्षण के दौरान जमा राशि –शून्य

(विवरण परिशिष्ट –IX पर)

32. कार्यकारिणी से विचार विमर्श

अंकेक्षण में उठाई गई आपत्तियों के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, अघ्यक्षा, उपाघ्यक्ष से विचार विमर्श किया गया।

33. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत कार्यालय के अभिलेखों को भली भांति संधारित नहीं किया गया था। कई मदों का आय–व्यय एक ही रोकड़बही में किया गया था एवं इसका वर्गीकरण नहीं किया गया था । अग्रिम पंजी, जमा पंजी, सामंजन पंजी, अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके कारण नगर पंचायत निधि की पंजियों /अभिलेखों इत्यादि के संधारण को सुनिश्चित करना संभव नही था।

राहुल कुमार
स0 ले0 प0 अ0

संo एलo एo/एसo एसo –I/शo स्थाo निo/ दिनांक

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बनमनखी (पूर्णिया) को अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इस प्रतिवेदन की प्राप्ति के तीन माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन उचित माध्यम से स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना को प्रेषित करेंगे।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

Sd/-
वo लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय

संo एलo एo/एसo एसo –I/शo स्थाo निo/1427/623 दिनांक 30.5.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित

(i) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग बिहार सरकार, पटना

(ii) जिलापदाधिकारी, पूर्णिया, बिहार

वo लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय

नगर पंचायत बनमनखी 54 (5)

परिशिष्ट I

अभिलेखों एवं पंजियों की सूची जिन्हें अंकेक्षण में जाँच हेतु उपस्थित किया गया —

1. लेखापाल रोकड़ बही
2. ~~[illegible]~~
3. होल्डिंग रसीद
4. होल्डिंग रसीद दैनिक पंजी
5. विविध रसीद
6. ~~[illegible]~~ बैंक पास बुक/स्टेटमेंट
7. योजना अभिलेख/पंजी
8. सैक्शन मशीन क्रय पंजी
9. योजना अभिलेख
10. स्व० ज० श० रो० योजना की रोकड़-बही

[illegible signature]